पुत्र श्री बाबूलाल गर्ग निवासी खारे कुए के पास सवाईमाधोपुर

GCMS No-2022/ 255

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज

17.1.2023

पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही। लोक सूचना अधिकारी एवं सचिव नगर विकास न्यास सवाईमाधोपुर की ओर से पैरोकार उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 29.8.2022 को लोक सूचना अधिकारी एवं सचिव नगर विकास न्यास सवाईमाधोपुर के कार्यालय में अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गयाः–

1. माया देवी गौरा देवी का कन्वर्जन आदेश की प्रमाणित प्रति।
2. माया देवी गौरा देवी द्वारा प्रस्तुत किये गये नक्शे की प्रमाणित प्रति।
3. जेईएन रिपोर्ट यू.आई.टी की प्रमाणित प्रति।
4. तहसीलदार राजस्व व नगर विकास न्यास रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति।
5. पटवारी राजस्व नगरविकास न्यास की रिपोर्ट की प्र.प्रति।
6. अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति।
7. माया देवी, गौरा देवी किया गया 90 ए की अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति।
8. जोनल प्लॉन के आदेश ,सूचना मे आपत्ति आदेश पेपर की कटिंग।
9. 5033/4533 मे से कितनी जमीन गई की प्रमाणित प्रति।
10. माया देवी गोरा देवी की फाईल किस स्टेज पर चल रही है प्रमाणित प्रति देवे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं सचिव नगर विकास न्यास, सवाईमाधोपुर द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं सचिव नगर विकास न्यास, सवाईमाधोपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी।

नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही हुआ। दौराने सुनवायी पैरोकार ने कथन किया कि लोक सूचना अधिकारी एवं सचिव नगर विकास न्यास, सवाईमाधोपुर के जवाब नोटिस कमांक प.() नविन्या/सू.का.अ./2023/30 दिनांक 11.01.2023 से अवगत कराया कि अपीलान्ट द्वारा चाही गयी सूचना जरिये पत्रांक 1206 दिनांक 12.10.2022 से अपीलान्ट के भाई नरेश कुमार गर्ग, को भिजवायी जा चुकी है। उक्त सूचना की प्रति अपीलान्ट को भी भिजवायी जा रही है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार द्वारा निवेदन किया गया।

पैरोकार द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 29.8.2022 को प्रेषित प्रार्थना पत्र मे चाही गयी सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं सचिव नगर विकास न्यास सवाईमाधोपुर द्वारा जरिये पत्रांक 1206 दिनांक 12.10.2022 से अपीलान्ट के भाई को भिजवाया जाना बताते हुए उक्त 10 बिन्दुओं की सूचना की प्रति अपीलान्ट को भिजवाया जाना बताया है किन्तु यह नही बताया कि किस पत्रांक के माध्यम से उक्त सूचना अपीलान्ट को भिजवायी गयी है। अत सचिव नगर विकास न्यास सवाईमाधोपुर को पुनः निर्देशित किया जाता है कि वांछित सूचना अपीलान्ट को भिजवायी जाने से संबंधित पत्र की प्रति इस न्यायालय को 7 दिवस मे भिजवाया जावे। उक्त निर्देश के साथ अपील अपीलान्ट का निस्तारण किया जाता है। न्यायहित मे जवाब नोटिस के साथ प्राप्त सूचना की प्रति निर्णय प्रति के साथ अपीलान्ट को भिजवायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं अपील दाखिल अभिलेख की जावे। आदेश खुले न्यायालय मे सुनवाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2023.12.19 11:30:07 IST
Reason: SelfAttested

(सुरेश कुमार ओला)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर